वक़्फ़ विधियकः राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में अनदेखियां

डा. सैयद ज़फ़र महमूद

श्री सेफ़ुद्दीन सोज़ के नैतृत्व वाली राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ने 17 दिसम्बर 2011 को वक़्फ़ विधियक 2010 पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। सेलेक्ट कमेटी ने सच्चर कमेटी की 2006 और जे. पी. सी. वक्फ़ की 2008 की रिपोर्टो में दी गयी विभिन्न महत्तवपूर्ण सिफ़ारिशों को जिन्हें वक़्फ़ विधियक 2010 में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अनदेखा कर दिया, विधियक में शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए सेलेक्ट कमेटी के सदस्य-गण प्रशंसा के पात्र हैं। अब इन महत्तवपूर्ण सुझावों में से किस किस में अल्पसंख्यक मंत्रालय तथा विधि मंत्रालय फिर अङंगा लगाते हैं इस पर मिल्लत के क़ाइदीन को पैनी नज़र रखने की कङी ज़रूरत है। इन सुझावों का विस्तृत उल्लेख मैं इस श्रंखला के तीसरे भाग में करूंगा। यहां मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मंत्रालय से मेरा अभिप्राय उन दो तीन अफ़सर शाहों से है जो हिन्दुस्तान के 16 करोङ मुसलमानों की पांच लाख वक़्फ़ सम्पत्तियों के भाग्य का फ़ैसला अपने क़लम की एक जुंबिश से कर देते हैं।

सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि जे. पी. सी वक़्फ़ और सच्चर कमेटी की कौन कौन सी महत्तवपूर्ण सिफ़ारिशें राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। पता चला है कि सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में इन महत्तवपूर्ण बिन्दुओं को शामिल न किए जाने के पीछे भी अल्पसंख्यक मंत्रालय और विधि मंत्रालय के अधिकारियों की वे आपत्तियां हैं जिन पर समय के अभाव की वजह से सेलेक्ट कमेटी में आवश्यक चिंतन मनन नहीं हो सका और जिन्हें संबन्धित क़ानूनी साक्ष्यों के द्वारा जङ तक पहुंच कर निरस्त नहीं किया जा सका।

वक़्फ़ सम्पत्तियों की सुरक्षा, उनका सदुपयोग एंव उनके प्रबंधन पर सच्चर कमेटी तथा जे. पी. सी. के इन बहुमूल्य सुझावों के गहन तथा दूरगामी प्रभाव पङने वाले हैं, इसलिए यदि मिल्लत ने इस समय उन पर भरपूर ध्यान नहीं दिया तो वक़्फ़ सम्पत्तियां सदियों तक यूं ही अव्यवस्था और अनदेखियों से ग्रस्त रहेंगी। सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट की यह ख़ामियां निम्नलिखित हैं।

जे. पी. सी वक़्फ़ तथा सच्चर कमेटी दोनों ने सिफ़ारिश की थी कि वक़्फ़ के मामलों में अफ़सरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका जाए। इस महत्तवपूर्ण सिफ़ारिश को अल्पसंख्यक

मंत्रालय ने वक़्फ़ विधियक में शामिल करने के बजाए इसके विपरीत एक प्रस्ताव इस में जोड़ दिया। उसने वक़्फ़ क़ानून के अनुच्छेद 56 में एक नया बिन्दु डाल दिया जिसके अनुसार एक साल से अधिक अवधि के लिए किसी भी लीज़ के प्रस्ताव को राज्य वक़्फ़ बोर्ड राज्य सरकार को भेजेगा जो पैंतालीस दिन के अन्दर उस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य होगी। इस तरह वक़्फ़ बोर्डों की स्वायत्ता का उपहास उड़ाया गया है। सेलक्ट कमेटी ने इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

मौजूदा क़ानून में वक़्फ़ सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करना या न करना राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है। सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया था कि इसे क़ानून में अनिवार्य कर दिया जाए। जे. पी. सी. ने इस सम्बंध में यह व्यवस्था सुझाई कि वक़्फ़ समपत्तियों के आगामी सर्वे में उन समस्त वक़्फ़ सम्पत्तियों को शामिल किया जाए जो 15 अगस्त 1947 को मौजूद थीं। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय ने प्रस्तावित क़ानून में इन दोनों सुझावों को जगह नहीं दी, और अब राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस पर ध्यान नहीं दिया है।

सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल का अध्यक्ष मंत्री होता है। जब से काउंसिल बनी है तब से अब तक यह दिक़्क़त रही है कि आज तक कोई भी अध्यक्ष (मंत्री) अपनी अन्य व्यस्ताओं के चलते काउंसिल के काम पर इतना ध्यान नहीं दे सका है जितना ध्यान इन पांच लाख वक़्फ़ सम्पत्तियों की देख-रेख के लिए दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया कि काउंसिल का अध्यक्ष पूर्णकालिक हो। इसलिए यह पद किसी उच्च न्यायालय के रिटार्यड जज, किसी विश्वविधालय के पूर्व उप-कुलपति या किसी वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष को दिया जा सकता है। वक़्फ़ क़ानून में सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव की योग्यता और केन्द्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी में उसकी श्रेणी का कोई निर्धारण नहीं है। क़ानून की इस कमी की वजह से सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल के सचिव को ब्यूरोक्रेसी में वह प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती जिस से उसका दबदबा हो और काउंसिल के मामलों को अपेक्षित महत्ता मिले। इसलिए सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया कि काउंसिल के सचिव का स्तर भारत सरकार के सहसचिव (ज्वाइंट सेक्रेट्री) के बराबर रखा जाए। ज्वाइंट सेक्रेट्री के आदेश/निर्देश को निदेशक के स्तर तक कोई भी अधिकारी निरस्त नहीं कर सकता है। इन दोनों सुझावों के अनुरूप अल्पसंख्यक मंत्रालय ने विधियक मे कोई प्रावधान नहीं किया और सेलेक्ट कमेटी ने भी विधियक की इस कमी पर कोई ध्यान नहीं दिया।

पूरे देश में उठ्ठाइस (28) वक़्फ़ बोर्ड हैं। हर बोर्ड में जो व्यक्ति रोज़ाना आठ घण्टे से अधिक काम करके बोर्ड के समस्त विभागों के प्रबंधन का नैतृत्व करता है वह है सी. ई. ओ. । 1954 से आज तक वक़्फ़ क़ानून में यह प्रावधान है कि वक़्फ़ बोर्ड का सी. ई. ओ. मुसलमान होगा। लेकिन सी. ई. ओ. के लिए योग्यता तथा राज्य सरकार में उसकी प्रशासनिक श्रेणी का कोई उल्लेख क़ानून में नहीं है। जे. पी. सी. तथा सच्चर कमेटी दोनों ने पूरे देश में सर्वे करके यह पाया कि राज्यों में मुसलमान अधिकारी आम तौर से उपलब्ध ही नहीं है। अतः प्रायः कनिष्ठ (जूनियर) और अयोग्य व्यक्ति वक़्फ़ बोर्ड के सी. ई. ओ. बना दिए जाते हैं। इसके मद्देनज़र सच्चर कमेटी ने प्रस्ताव दिया कि देश में वक़्फ़ प्रबंधन के लिए एक अलग सर्विस काडर (विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी) विक्सित किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के दो, तीन अधिकारियों ने बिना किसी अध्यन के यह मन बना लिया कि एसा नहीं होने देना है और यह लिख दिया कि यह सुझाव साध्य नहीं है। उच्च स्तर पर इस तर्कसंगत सुझाव पर कोई चिंतन नहीं हुआ। इसी तरह वक़्फ़ प्रबन्धन से सम्बंधित अधिकारियों एंव कर्मचारियों के समय समय पर पुनः प्रशिक्षण के लिए नेशनल वफ़्फ़ अकाडमी स्थापित करने सम्बंधी सुझाव पर मंत्रालय ने कोई काररवाई अभी तक नहीं की है। राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में इन दोनों मुद्दों का भी कोई ज़िक्र नहीं है। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा इस श्रंखला के अगले लेख में की जाएगी।

शैक्षिक संस्थान औत अस्पताल आदि बनाने के लिए ज़मीन लीज़ पर लेने तीन साल की अवधि बहुत कम होती है इस लिए सच्चर कमेटी ने सिफ़ारिश की कि यदि कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसॉयटी इस के लिए आवेदन करे तो आवश्यक छानबीन के बाद उस वक़्फ़ सम्पत्ति को तीस साल तक की लीज़ पर देने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय ने प्रस्तावित क़ानून में इस पर यह शुक़्क़ा लगाया कि लीज़ के लिए रजिस्टर्ड ट्रस्ट या रजिस्टर्ड सोसॉयटी होना ज़रूरी नहीं है बल्कि यह लीज़ किसी भी आवेदक को दी जा सकती है। स्पष्ट है कि इस प्रावधान से वक़्फ़ सम्पत्तियों के और अधिक दुरुपयोग का दरवाज़ा खुल जाएगा। इस के अलावा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए विधियक में यह प्रावधान भी है कि निजी कारोबारी उपयोग के लिए भी वक़्फ़ सम्पत्ति 15 साल तक की लीज़ पर दी जा सकती है जिस के लिए नियम बनाने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखने का प्रस्ताव दिया था। सरकारी अधिकार के इस प्रावधान पर तो सेलेक्ट कमेटी ने आपत्ति जताई है लेकिन विधियक के इस प्रस्ताव की

असिल ख़राबी अर्थात आवेदक के रजिस्टर्ड ट्रस्ट/सोसॉयटी होने या न होने की छूट के सम्बंध में सेलेक्ट कमेटी ने कुछ भी नहीं कहा है।

वक़्फ़ सम्पत्तियों पर नाजायज़ क़ब्ज़े हटाने के लिए वक़्फ़ बोर्ड को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से जे. पी. सी. ने सिफ़ारिश की थी कि वक़्फ़ बोर्ड के सी. ई. ओ. को मजिस्ट्रेट पॉवर दी जाए और निर्धारति अवधि में नाजायज़ क़ब्ज़े हटवाने के लिए रुचिपूर्वक काम न करने वाले सम्बंधित अधिकारियों के लिए जुर्माना निर्धारित किया जाए। जे. पी. सी. के इन सुझावों का उल्लेखन न तो वक़्फ़ विधियक 2010 में है न सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में है। एक और चिंताजनक बात यह है कि वक़्फ़ प्रीमाइज़ (वक़्फ़ परिसर) की परिभाषा क़ानून में मौजूद नहीं है। इस कारण वक़्फ़ सम्पत्तियों के मुक़दमों में वक़्फ़ बोर्ड को कई बार हार का मुंह देखना पङता है। सच्चर कमेटी ने देश व्यापी सर्वे करके और विभिन्न मुक़दमों के निर्णयों का अध्यन करके इस की आवश्यकता महसूस की और वक़्फ़ प्रीमाइज़ की एक समग्र परिभाषा प्रस्तावित की। इस का उल्लेख भी विधियक में और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में नहीं है।

मौजूदा वक़्फ़ क़ानून में एक टाइपिंग की ग़लती है। वक़्फ़ क़ानून के अनुच्छेद 3(आर) में "वाक़िफ़" (वक़्फ़ करने वाला) के बजाए "वक़्फ़" (सम्पत्ति) लिखा है। इसे ठीक करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उस में अनावश्यक रूप से एक शुक़्क़ा लगा दिया गया। किसी परिप्रेक्ष्य के बिना ही इस में एक शर्तिया पंक्ति लिखी गयी कि यदि वांशिक (परिवारिक) श्रंखला या उत्तराधिकार की कङी टूट जाए तो सम्बंधित वक़्फ़ का लाभ कम्यूनिटी (समुदाय) को मिलेगा। यहां कम्यूनिटी की कोई परिभाषा नहीं बताई गयी है। इस तरह न्यायालय के लिए यह दरवाज़ा खोल दिया गया कि कम्यूनिटी शब्द की जो जैसी चाहे व्याख्या कर ले। इस नए प्रस्तावित अंश को हटाने के लिए राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी ने कोई उल्लेख अपनी रिपोर्ट में नहीं किया है। यदि यह अंश विधियक में बनाए रखना है तो आवश्क है कि कम्यूनिटी शब्द के स्थान पर "मुस्लिम कम्यूनिटी ऑफ़ इण्डिया" लिखा जाए ताकि भविष्य में कम्यूनिटी शब्द की व्याख्या करने में किसी भ्रम की कोई गुंजाइश न रहे।

सब जानते हैं कि किरायादारी के क़ानून का झुकाव किराएदार के पक्ष में है। इस की वजह से वक़्फ़ सम्पत्तियों की आय बहुत घाटे में है और इसी के चलते वक़्फ़ बोर्ड कई बार अपने मुक़दमे हार जाते हैं। इस के मद्देनज़र मिल्लत काफ़ी समय से यह मांग कर रही है कि वक़्फ़

सम्पत्तियों को किराएदारी के क़ानून से मुक्त कर दिया जाए। लेकिन वर्षों की जिद्दोजहद के बावजूद अभी तक केवल चार राज्यों ने अपने किराएदारी क़ानून में इस छूट का प्रावधान किया है। क़ानूनी संशोधन की रफ़्तार अगर यही रही तो फिर तो पूरे देश में वक़्फ़ सम्पत्तियों को किराएदारी क़ानून से मुक्त कराने में कई सदियां लग जाएंगी। इस बात को देखते हुए सच्चर कमेटी ने यह सुझाव दिया कि यह संशोधन वक़्क़ अधिनियम में ही कर दिया जाए कि वक़्फ़ सम्पत्तियों के सम्बंध में किराएदारी क़ानून प्रभावी नहीं होगा। सच्चर कमेटी के सुझावों को क्रयान्वित कराने के लिए बनाई गयी भारत सरकार की अन्तरमंत्रालय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि किराएदारी के प्रांतीय क़ानूनों को वक़्फ़ सम्पत्तियों पर अप्रभावी बनाने के लिए वक़्फ़ अधिनियम में ही उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और क़ानून मंत्रालय के तीन, चार अधिकारियों ने इस भारी भरकम प्रस्ताव को फ़ाइलों में ही दबा दिया। राज्य सभा की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में भी इस की कुछ सुध नहीं ली गयी। होना यह चाहिए कि दोनों मंत्रालयों के चार, पांच अधिकारियों की राय को देश के 16 करोङ मुसलमानों, उनके हितेषियों तथा क़ानून विदों व बुद्धिजीवियों के सामने रखा जाए। उनकी राय जान कर सरकार और संसद इस सम्बंध में कोई निर्णय लें। वरना देश की वक़्फ़ सम्पत्तियों का अपेक्षित लाभ मिल्लत को कभी भी नहीं मिल सकेगा।

वक़्फ़ न्यायाधिकरण का अध्यक्ष सामान्यतः किसी सिविल कोर्ट के कार्यकारी जज को अतिरिक्त भार देकर बना दिया जाता है। सब जानते हैं कि जज साहिबों के पास अपने न्यायालय सम्बंधी कार्यों को पूरा करने के लिए ही समय का अभाव रहता है। एसे में वे अतिरिक्त भार कैसे उठा पाएंगे। इसलिए सच्चर कमेटी ने कहा कि वक़्फ़ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष एंव सदस्य पूर्णकालिक होने चाहिएं। इस में जे. पी. सी. ने यह भी जोङा कि वक़्फ़ न्यायाधिकरण को किसी मुक़दमे का फ़ैसला करने के लिए केवल एक साल की अवधि दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इन दोनों सुझावों को बिना किसी स्पष्टीकरण के अनदेखा कर दिया। राज्यसभा सेलेक्ट कमेटी ने भी इस बारे में ख़ामोशी ही रखी है।

एसे असंख्य मामले है कि किसी जगह के इबादतगाह होने और मज़हबी लिहाज़ से महत्तवपूर्ण होने के बावजूद वक़्फ़ बोर्ड और मुस्लिम अवाम उसे उपयोग में नहीं ला सकते क्यूंकि उसे एतिहासिक धरोहर होने के कारण सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। सच्चर कमेटी ने सुझाव दिया कि पुरातत्व विभाग और सैण्ट्रल वक़्फ़ काउंसिल एसे धरोहरों की सूची की संयुक्त रूप से

वार्षिक समीक्षा करें और उनकी स्थिति का आकलन करते रहें। कार्रवाई और बैठकों के लिखित ब्योरा पर दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हों और उसका विवरण दोनों संस्थाओं तथा सम्बंधित मंत्रालयों में सुरक्षित किया जाए। सूचना का अधिकार क़ानून के माध्यम से ली गयी जानकारी से पता चला कि पिछले पांच वर्षों में केवल इतना हुआ है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सम्बंधित कार्यालयों को एक एक पत्र भेज कर निर्देश दे दिया कि इन बैठकों की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य सभा सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में इस अति महत्तवपूर्ण मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है।

वक़्फ़ क़ानून में आवश्यक संशोधन कराने के लिए मिल्लत को इस समय बहुत ज़ोर लगाने की ज़रूरत है। वरना अल्लामा इक़बाल ने कहा है किः

फ़ितरत अफ़राद से इग़माज़ तो कर लेती है

कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मआफ़